निर्णय

फर्द अहकाम 20.08.2024

2024/381

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

बनवारी बनाम स्टेट

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 295 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28.06.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 11.07.2024 को पेश हो।	
11.7.2024	वकुलाए फरीकैन उपस्थित/PU मार्फत [illegible] है। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक [illegible].2024 को पेश हो	
20.8.2024	वकुलाए फरीकैन उपस्थित। स्टेट जवाब प्राप्त हुआ। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड आदि के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पृथक विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.31 16:30:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 295/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

बनवारीलाल पुत्र भानीराम जाति प्रजापति कुम्हार निवासी बागासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–वादी

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) पल्लू, तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।

–प्रतिवादी

उपस्थितः– श्री विनोद कुमार स्वामी वकील–वादी
पेरोकार राज–प्रतिवादी

निर्णय दिनांक– 28.08.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री विनोद कुमार स्वामी वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व रावतसर उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि ग्राम बागासर के खाता संख्या 182/172 के खसरा सख्या 219 की 0.6830 हैक्टेयर,खसरा सख्या 228/4 की 0.7490हैक्टेयर,खसरा सख्या 298/1 की 1.1020हैक्टेयर कुल 2.5340 है. में से 1/2 हिस्सा व खाता संख्या 246/171 के खसरा सख्या 273 की 7.9040 व खसरा सख्या 296 की 5.8170 हैक्टेयर बारानी में से 1/8 हिस्सा कृषि भूमि में दर्ज वादी का नाम बनवारी पुत्र भानीराम के स्थान पर बनवारी लाल पुत्र भानीराम दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28.08.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.31 16:30:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner